

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1  
संख्या: /XXVIII-1/01(12)2022  
देहरादून: दिनांक: 22 मई, 2023  
कार्यालय झाप

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 के पैरा-19 एवं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम 2022 के की धारा-19 के अधीन निम्नानुसार अपीलीय प्राधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- |   |                                                                  |         |
|---|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन    | अध्यक्ष |
| 2 | अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन                                 | सदस्य   |
| 3 | अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन | सदस्य   |
- (जो समुचित प्राधिकारी से इतर हो)

(अमनदीप कौर)  
अपर सचिव।

संख्या-666 (1)/XXVIII-1/01(12)2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0 गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।
11. नोडल अधिकारी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सेरोगेसी अधिनियम।
12. अधीक्षक, एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रुड़की को अधिसूचना के प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।
14. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर देहरादून।
15. मॉड फाईल।

आज्ञा से,



(कृष्ण कुमार शुक्ल)  
उप सचिव।